



न्यायालय : भारतीय राष्ट्रव संघर म अप्रैल, रवालियर

प्रकरण क्रमांक

1 रुपये पुनरोक्ताणा

R/552 III/09
ब्राह्मण विश्वास
जनवरि 19-5-09
अद्यतेन विवेद
संघर्ष विवेद
भारतीय राष्ट्रव संघर म अप्रैल

सुन्दरा कुमारा एकात्म
एकाकी के

रामायण
१९५१

१) मुठ भेषज्वार्द पहिन स्व० श्री रामभिल विश्वकर्मा,
आयु ५० वर्ष,

२) जगदीशप्रसाद पुत्र स्व० श्री गोप्रसाद विश्वकर्मा,
आयु ५० वर्ष,

३) छलू उफू रावेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामभिल
विश्वकर्मा, आयु ३० वर्ष, समस्त निवासीगण
आंचला टौला वाहै नै० ४५ सतना तेहसील
रघुराजनगर, जिला सतना (मध्य०)
— अवेदनगण.

विरुद्ध

१) मुत रामेश्वरप्रसाद पुत्र स्व० शम्भूप्रसाद विश्वकर्मा
द्वारा नारिखान -

१-(ब) मुठ रानीदेवी पहिन स्व० रामेश्वरप्रसाद विश्वकर्मा,
आयु ८० वर्ष,

१-(ब) सुरेशप्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व० रामेश्वरप्रसाद,
आयु ५० वर्ष,

भारतीय महापेत्रप्रसाद पुत्र स्व० रामेश्वरप्रसाद विश्वकर्मा,
आवेदकगण कीर्ति, समस्त निवासीगण आजाद चौक,
संदिग्ध तथा : गजनगर जिला सतना (मध्य०)

(अ) यहाँ, प्रकरण मे अनावेदन क्रमांक, रामेश्वरप्रसाद विश्वकर्मा
द्वारा मुल्तार बाम के माध्यम से किया रण नामांकन है।

१) (इ) श्रीमती माया चूर्णि स्व० रामेश्वरसाद विश्वकर्मा,
पर्तिन श्री वब्लू उफ्फ अशोक्कुमार, आयु ४५ वर्ष,
निवासी नगरिया माँहला, गोपाल्कुआ के पास,
रीवा तेहरीछ छुर, जिला रीवा (मध्य०)

२) महेश्वरसाद पुत्र स्व० मंगलप्रसाद विश्वकर्मा, आयु ५५ वर्ष,
निवासी छिकुसिया टोला लालीवावा रोड, सतना
तेहरीछ खुराजनगर जिला सतना (मध्य०)

३) सुरेशप्रसाद विश्वकर्मा पुत्र स्व० मंगलप्रसाद विश्वकर्मा,
आयु ५० वर्ष,

४) मैयालाल विश्वकर्मा पुत्र स्व० मंगलप्रसाद विश्वकर्मा,
आयु ५८ वर्ष,

५) अशोक्कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० श्री मंगलप्रसाद विश्वकर्मा,
आयु ४५ वर्ष, समस्त निवासीगण उच्चवा टोला
वाडी न० ३३ तेहरीछ खुराजनगर, जिला सतना (मध्य०)

—अनावेदकगण.

पुनर्विद्वाण अन्तर्भृत या सा मध्य० पूर्णवस्त्र संहिता १६४६
विरुद्ध आवेद्य दिनांक ६-४-२००६ पारित द्वारा न्यायालय
अपर आयुवत रीवा रेमाग रीवा, प्रकरण क्रमांक २३२०५०।
०८-६६ क्रमान सु० केशवाई आदि वनाम मृत रामेश्वर-
प्रसाद विश्वकर्मा आदि।

पान्तिय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनर्विद्वाण निम्नलिखित प्रस्तुत हैं—
संदिग्ध तथ्य :

(अ) यहकि, प्रकरण मै अनावेद्य क्रमांक १६२० रामेश्वरसाद
द्वारा मुल्तार वाम के माध्यम से किए गए न्यायालय तेहरीछ

→ ३

RSS2 | ८)०९ (६०७)

— ३ —

ग्रामीण
मिशन ५/७/१८
मुंबई २४/३/१८

आश्वासन का विवरण
कई अवृत्ति थीं खुली
जाएँगी हैं। जैसे
देखें विषय का विवरण
प्राप्ति की जाएँगी।
विवरण योग्य है। तभी
काउंटरेंस खोला जाए
है। प्राप्ति इसी रूप
में आकार में लिख लीजिए
है। लिखित नीलाजा गोपनीय
प्राप्ति बोलें है। ~~मिशन~~
~~मिशन~~ ५/७/१८

~~मिशन~~